<u>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)</u>

पीठासीन अधिकारीः–ओम प्रकाश चन्देलिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 146/2018 **दायर दिनांक :–27.07.2018**

उनवान

1. बाबूलाल आयु 58 वर्ष पुत्र गोपीलाल जाति मीणा निवासी हनुवतखेड़ा तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

वादी

बनाम

1. रामस्वरूप आयु 38 वर्ष पुत्र मन्नालाल जाति मीणा निवासी हनुवतखेड़ा पोस्ट मूसई गुजरान तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब अटरू तह0 अटरू जिला बारां राज0

प्रतिवादीगण

<u>वाद अन्तर्गत धारा 183, 188 आर0टी0एक्ट0</u>

उपस्थितिः–
वादी :– विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर
प्रतिवादी :– विद्वान अभिभाषक श्री मोहनलाल सुमन

निर्णय दिनांकः–09.04.2025

वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 183. 188 आर0टी0 एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल हनुवतखेड़ा तहसील अटरू जिला बारां में खाता संख्या 137 का ख0न0 30 का रकबा 0.27 है0, ख0न0 32 का रकबा 1.10 है0, ख0न0 40 का रकबा 0.26 है0, ख0न0 43 का रकबा 1.09 है0, ख0न0 166 का रकबा 1.55 है0, ख0न0 171 का रकबा 0.22 है0, ख0न0 280 का रकबा 0.01 है0, ख0न0 301 का रकबा 0.25 है0, ख0न0 321 का रकबा 0.22 है0 ख0न0 570 का रकबा 0.18 है0, ख0न0 579 का रकबा 0.03 है0, कुल किता 11 का रकबा 5.18 है0 आराजी वादी के खाते दर्ज चली आ रही हैं। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 एवं नक्शा ट्रेस वाद पत्र के साथ संलग्न हैं। जो काबिज चला है। वादी अपने स्वामित्व की आराजी पर कब्जा काश्त करता चला आ रहा था परन्तु गत वर्ष प्रतिवादी क्रम 1 ने वादी के स्वामित्व की आराजी ख0न0 570 का रकबा 0.18 है0, ख0न0 579 का रकबा 0.03 है0 कुल 2 किता का रकबा 0.21 है0 पर जबरन कब्जा कर लिया वादी ने मना किया तो वादी के साथ गाली–गलौच की और प्रतिवादी क्रम 1 ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.05.22 13:37:37 IST
Reason: SelfAttested

कब्जा छोड़ने से मना कर दिया। तब वादी प्रतिवादी क्रम 1 की रिपोर्ट करवाने थाना कवाई में गया तो थाना कवाई ने माननीय न्यायालय में कार्यवाही कर आदेश लाने की बात कही। बिना सहायता न्यायालय प्रतिवादी क्रम 1 को उसके द्वारा किये जा रहे अवैधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य से रोका जाना सम्भव नहीं हैं यदि प्रतिवादी क्रम 1 अपने अवैधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य में सफल हो गया तो वादी को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति बाद में अन्य प्रकार से होना सम्भव नहीं होगी इसलिए प्रतिवादी क्रम 1 को वादी के स्वामित्व की 0.21 है0 आराजी पर से बेदखल किया जाकर कब्जा वादी को दिलाया जावें तथा दौराने वाद वादी के स्वामित्व की आराजी पर कब्जा बनाये रखने की सूरत में वाद प्रस्तुत करने की दिनांक से प्रतिवादी क्रम 1 से प्रतिबीघा प्रतिवर्ष 10,000/—रूपये सेक्यूरिटी राशि जमा करवायी जावें तथा प्रतिवादी क्रम 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि वह वादी के स्वामित्व एवं कब्जे काश्त की आराजी में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न तो स्वंय करें न ही ऐसा कृत्य अपने प्रतिनिधियों से करावें इस हेतु यह वाद माननीय न्यायालय में पेश किया गया हैं। वाद बेदखली एवं स्थाई निषेधाज्ञा का होने की वजह से राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू को प्रतिवादी क्रम—2 आवश्यक पक्षकार बनाया गया हैं। वाद कारण वादी द्वारा दिनांक 05/07/2018 को प्रतिवादी क्रम 1 से उसके स्वामित्व की आराजी पर से कब्जा छोड़ने का निवेदन करने पर तथा अन्तिम बार दिनांक 15/07/2018 को प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा वादी के स्वामित्व की 0.21 है0 आराजी पर आने पर जान से मारने की धमकी देने पर माननीय न्यायालय के सीमा क्षेत्र में उत्पन्न हुआ। विवादग्रस्त आराजी वाके ग्राम एवं माल हनुवतखेड़ा तह0 अटरू में स्थित होने की वजह से माननीय न्यायालय को श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं। वाद राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ठ के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर दावा हाजा पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा श्रवण योग्य हैं। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य हैं।

अतः माननीय न्यायालय में वाद पत्र पेश कर वादी निवेदन करता हैं कि निम्न आशय की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी क्रम 1 [illegible] की जावें :—

(अ) वाद पत्र की [illegible] वाके ग्राम एवं माल हनुवतखेड़ा पटवार हल्का गोरधनपुरा की खाता संख्या 137 के ख0न0 570 का रकबा 0.18 है0, ख0न0 579 का रकबा 0.03 है0 कुल 2 किता का रकबा 0.21 है0 आराजी पर से प्रतिवादी को बेदखल किया जाकर कब्जा वादी को दिलाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.05.22 13:37:37 IST
Reason: SelfAttested

(ब) प्रतिवादी क्रम 1 से दौराने वाद वादी के स्वामित्व की आराजी पर कब्जा बनाये रखने की सूरत में वाद प्रस्तुत करने की दिनांक से प्रतिबीघा प्रतिवर्ष 10,000/–रूपये सेक्यूरिटी राशि जमा करवायी जावें।

(स) प्रतिवादी क्रम 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि वह वादी के स्वामित्व एवं कब्जे काश्त की आराजी में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करें।

(द) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादी को प्रदान की जावें। वादी ने अपने वाद पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम व माल हनुवतखेडा खाता संख्या 137 सम्वत 2073–2076, नक्शा ट्रेस ग्राम हनुवतखेडा, नकल गिरदावरी माल हनुवतखेडा खाता संख्या 137 आदि दस्तावेज पेश किये गयें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा जवाब दावा मय प्रतिवाद पत्र पेश कर कथन किया कि वाद पत्र का मद नं. 1 स्वीकार है। वाद पत्र का मद नं. 2 जिस तरह से दर्ज किया है वह पूरा ही झूठे तथ्यों पर दर्ज होने की वजह से स्वीकार नही है। उक्त मद नं. 2 में वर्णित आराजी ख.नं. 570 का रकबा 18 बिस्वा तथा ख. नं. 579 का रकबा 0.03 हेक्टर को वादी के पिताजी गोपीलाल ने वादी बाबूलाल की उपस्थिति में आज से 18 वर्षों पूर्व 30,000/– रूपये में प्रतिवादी रामस्वरूप को बेचान की थी तथा बेचान की पूरी रकम वादी बाबूलाल के पिताजी गोपीलाल ने रूबरू गवाहान श्यामलाल पुत्र रामेश्वर किराड़ तथा मांगीलाल पुत्र प्रभूलाल ब्राह्मण निवासी हनुवतखेड़ा तहसील अटरू के सामने प्राप्त की थी तथा आराजी बेचान की थी उस समय बाबूलाल वादी भी वही पर मौजूद था। रकम प्राप्त करने के बाद स्वयं गोपीलाल तथा बाबूलाल ने खेत पर जाकर प्रतिवादी को कब्जा सम्भलाया था तभी से उक्त मद में वर्णित आराजी को प्रतिवादी रामस्वरूप शान्तिपूर्वक काश्त करता चला आ रहा है। वादी के पिताजी को मरे भी 8–10 वर्ष हो चुके है। इन 18 वर्षों की अवधि में न तो कब्जा छोड़ने की प्रतिवादी से वादी ने कही है और न ही उसके पिताजी ने कही है। उक्त मद में वादी बाबूलाल ने यह कही भी अंकित नही किया कि रामस्वरूप ने कौन से वर्ष एवं कौन से माह में कब्जा किया और वादी से प्रतिवादी ने कब्जा हटाने से [illegible] मद नं. 3 अस्वीकार है। वादी माननीय न्यायालय से कोई अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकता क्योंकि प्रतिवादी द्वारा वैध प्रतिफल बेचान की राशि वादी के पिताजी को अदा कर चुका है और [illegible] दावा किया वह बेरून मियाद पेश किया है इस वजह से वाद काबिल निरस्तनीय है तथा वादी के पिताजी गोपीलाल जी प्रतिवादी के सगे दादाजी है उन्होने ही जमीन प्रतिवादी को बेचान की थी इस वजह से प्रतिवादी उक्त जमीन को

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.05.22 13:37:37 IST
Reason: SelfAttested

अपने नाम खाता दर्ज करा पाने का अधिकारी है तथा वादी को पाबन्द करा पाने का अधिकारी है कि वह प्रतिवादी के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की दखल अन्दाजी नहीं करें। वाद पत्र का मद नं. 4 अस्वीकार है। उक्त उनवान के वाद में प्रतिवादी क्रम 2 गलत बनाया गया है इस वजह से उसका नाम वाद में से हटाया जावे। वाद पत्र का मद नं. 5 पूरा ही मनघढ़न्त एवं झूठे तथ्यों पर दर्ज होने की वजह से स्वीकार नही है और वादी ने गांव के पांच आदमियों के सामने यह भी स्वीकार किया था कि रूपये बेचान आराजी के मैंने नही लिये बल्कि मेरे पिताजी ने लिये थे यह घटना जून 2018 की है। यह कि वाद पत्र का मद नं. 6 कानूनी है। यह कि वाद पत्र का मद नं. 7 कानूनी है। यह कि वाद पत्र का मद नं. 8 जिस तरह से दर्ज किया है स्वीकार नही है। वादी द्वारा उक्त उनवान का वाद अवधि मध्य पेश नही किया है बल्कि वादी का वाद बेरून मियाद पेश होने की वजह से वाद काबिल निरस्तनीय है। वाद वादी द्वारा चाहा गया अनुतोष स्वीकार नही है तथा निम्नलिखित विशेष कथन मय प्रतिवाद पत्र पेश किये गये।

विशेष कथन मय प्रतिवाद पत्र

वादी के पिताजी तथा प्रतिवादी रामस्वरूप के पिताजी दोनों ही सगे भाई है। वादी के पिताजी बड़े थे और आज से करीब 18 वर्ष पूर्व वाद पत्र के मद नं. 2 में वर्णित माल हनुवतखेड़ा तहसील अटरू की आराजी ख.नं. 570 का रकबा 0.18 हेक्टर तथा ख. नं. 579 का रकबा 0.03 हेक्टर का बेचान 30,000/– रूपये में वादी के पिताजी गोपीलाल ने प्रतिवादी रामस्वरूप को किया था जो रूबरू गवाहान श्यामलाल पुत्र रामप्रताप किराड़ तथा मांगीलाल पुत्र प्रभूलाल जाति ब्राहमण निवासीगण हनुवतखेड़ा तहसील अटरू के किया था। रकम की अदायगी के समय गवाहन तथा वादी बाबूलाल भी उपस्थित था इस तरह से बाबूलाल को आराजी बेचान की पूरी जानकारी होने के बावजूद यह दावा पेश किया है। इस वजह से प्रतिवादी जवाब दावा मय प्रतिवाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करता है कि वादी का वाद बेरून मियाद (अवधि बाहर) होने की वजह से खारिज फरमाया जावे तथा प्रतिवादी रामस्वरूप का प्रतिवाद पत्र स्वीकार फरमाया जाकर बेचान नामे के आधार पर वाद पत्र के मद नं. 2 में वर्णित आराजीयात प्रतिवादी रामस्वरूप के नाम से दर्ज की जावे तथा वादी को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह आराजी ख.नं. 570 का रकबा 0.18 हेक्टर तथा ख. नं. 579 का रकबा 0.03 हेक्टर माल हनुवतखेड़ा तहसील अटरू को रहन बेचान, खुर्द बुर्द नही करें, प्रतिवादी रामस्वरूप को शान्तिपूर्वक काश्त करने देवे। इस वर्ष 2018 के माह जून में वादी ने गांव के पांच आदमियों के सामने यह स्वीकार किया था कि इस विवादित आराजीयात को मेरे पिताजी गोपीलाल ने प्रतिवादी को 18 वर्षों पूर्व बेचान किया था। प्रतिवाद पत्र पेश करने का कारण दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.05.22 13:37:37 IST
Reason: SelfAttested

23/07/2018 को वादी द्वारा प्रतिवादी रामस्वरूप के खिलाफ उक्त उनवान का वाद पेश करने पर उत्पन्न हुआ। प्रतिवाद पत्र उचित न्याय शुल्क पर तथा अवधि मध्य पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है।

अतः माननीय न्यायालय में प्रतिवादी जवाब दावा मय प्रतिवाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करता है कि वादी का वाद बेरून मियाद होने की वजह से निरस्त फरमाते हुये प्रतिवादी रामस्वरूप का प्रतिवाद पत्र स्वीकार फरमाया जाकर बेचान तथा कब्जे के आधार पर आराजी ख.नं. 570 का रकबा 0.18 हेक्टर तथा ख.नं. 579 का रकबा 0.03 हेक्टर माल हनुवतखेड़ा तहसील अटरू पर प्रतिवादी रामस्वरूप को खातेदार कृषक घोषित किया जावे तथा वादी को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह प्रतिवादी को उक्त आराजी का शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे।

वादीगण द्वारा प्रतिवादी के जवाब दावा मय प्रतिवाद पत्र का जवाब उल जवाब पेश कर कथन किया गया कि जवाब दावा मय प्रतिवाद पत्र की मद नं० 1 स्वीकार हैं तथा कथन हैं कि वादी आराजी का रिकार्डेड खातेदार हैं। जवाब दावा मय प्रतिवाद पत्र की मद नं0 2 में अस्वीकार हैं तथा कथन हैं कि वादी के पिताजी गोपीलाल ने प्रतिवादी रामस्वरूप को कभी आराजी बेचान नहीं की। प्रतिवादी क्रम 1 ने वादी के पिता के द्वारा आराजी बेचान करने की बात मनगढ़न्त व झूठें तथ्यों के आधार पर लिखी हैं। जवाब दावा मय प्रतिवाद पत्र की मद नं0 3 अस्वीकार हैं तथा कथन हैं कि वादी ने अन्दर मियाद वाद पेश किया हैं जो स्वीकार फरमाया जायें तथा प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा प्रस्तुत प्रतिवाद पत्र खारिज फरमाया जावें। जवाब दावा मय प्रतिवाद पत्र की मद नं0 4 अस्वीकार हैं तथा कथन हैं कि वादी ने प्रतिवादी क्रम 2 को राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से प्रतिवादी क्रम 2 सही बनाया हैं। जवाब दावा मय प्रतिवाद पत्र की मद नं0 5 अस्वीकार हैं तथा कथन हैं कि वादी ने गांव के पांच आदमियों के सामने वादी के पिता द्वारा आराजी बेचान करने व रूपये प्राप्त करने की बात स्वीकार नहीं की। जवाब दावा मय प्रतिवाद पत्र की मद नं0 6 कानूनी हैं। जवाब दावा मय प्रतिवाद पत्र की मद नं0 7 कानूनी हैं। जवाब दावा मय प्रतिवाद पत्र की मद नं0 8 अस्वीकार हैं। प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा चाहा गया अनुतोष अस्वीकार हैं तथा निम्नलिखित विशेष आपत्तियॉ पेश की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.05.22 13:37:37 IST
Reason: SelfAttested

जवाब उल जवाब विशेष आपत्तियॉ

जवाब दावा मय प्रतिवाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी का वादी रिकार्डेड खातेदार हैं। वादी के पिताजी गोपीलाल ने प्रतिवादी रामस्वरूप को कभी आराजी बेचान नहीं की। प्रतिवादी क्रम 1 ने वादी के पिता के द्वारा आराजी बेचान करने की बात मनगढ़न्त व झूठें तथ्यों के आधार पर लिखी हैं। वादी आराजी का रिकार्डेड खातेदार होने से तथा प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा वादी के स्वामित्व की आराजी पर जबरन अवैधानिक एवं गैर कानूनी तरीके से अतिक्रमण कर कब्जा काश्त करने से प्रतिवादी क्रम 1 वादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं करवा सकता हैं। जवाब दावा मय प्रतिवाद पत्र की मद नं0 2 अस्वीकार हैं तथा कथन हैं कि वादी ने गांव के पांच आदमियों के सामने वादी के पिता द्वारा आराजी बेचान करने व रूपये प्राप्त करने की बात स्वीकार नहीं की। जवाब दावा मय प्रतिवाद पत्र की मद नं0 3 अस्वीकार हैं। जवाब दावा मय प्रतिवाद पत्र की मद नं0 4 अस्वीकार हैं। प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा चाहा गया अनुतोष अस्वीकार हैं।

अतः माननीय न्यायालय में वादी की ओर से प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा मय प्रतिवाद पत्र का जवाब उल जवाब पेश कर निवेदन हैं कि प्रतिवादी क्रम 1 का जवाब दावा मय प्रतिवाद पत्र खारिज फरमाकर वादी का वाद स्वीकार फरमाने की कृपा करें।

. दावा व जवाब दावा के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई–

तनकी नं0 1– आया कि वादी वाद पत्र के मद नं0 1 में वर्णित आराजीयात वाके ग्राम व माल हनुवतखेडा की खाता संख्या 137 का कुल किता 2 का रकबा 0.21 है0 आराजी पर से प्रतिवादी क्रम 1 को बेदखल करवाकर कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है।

वादी

तनकी नं0 2– आया की वादी के स्वामित्व की आराजी 0.21 है0 पर प्रतिवादी क्रम 1 कब्जा बनाये रखने की सूरत में वाद प्रस्तुत करने की दिनांक से प्रति बीघा प्रति वर्ष 10,000/– सेक्युरिटी राशि प्रतिवादी क्रम 1 से जमा करवाने का अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.05.22 13:37:37 IST
Reason: SelfAttested

वादी

तनकी नं0 3– आया कि वादी प्रतिवादी क्रम 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकारी है कि वह वादी के स्वामित्व की आराजी में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नही करें।

वादी

तनकी नं0 4– आया कि वादी के पिताजी एवं प्रतिवादी क्रम 1 रामस्वरूप के पिताजी दोनो सगे भाई है। वादी के पिताजी ने 0.21 है0 आराजी 19 वर्ष पूर्व प्रतिवादी क्रम 1 को रूबरू गवाहान 30,000/– प्राप्त कर बेचान कर दी थी।

तनकी नं0 5– आया कि वादी का वाद बैरून मियाद होने से खारिज होने योग्य है।

प्रतिवादी क्रम 1

तनकी नं0 6– आया कि प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा प्रस्तुत प्रतिवाद पत्र स्वीकार कर वादी वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी प्रतिवादी रामस्वरूप के खाते दर्ज की जावे।

प्रतिवादी क्रम 1

तनकी नं0 7– आया कि वादी को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी को रहन, बेचान, खुर्द बुर्द नही करें।

प्रतिवादी क्रम 1

तनकी नं0 8– दादरसी

साक्ष्यवादी के तहत pw1 बाबूलाल पुत्र गोपीलाल जाति मीणा निवासी हनुवतखेडा, Pw2 रामरतन पुत्र धन्नालाल जाति मीणा निवासी हनुवतखेडा, Pw3 मांगीलाल पुत्र प्रभूलाल जाति ब्राहम्ण निवासी हनुवतखेडा व Pw4 श्यामलाल पुत्र रामप्रताप जाति किराड निवासी हनुवतखेडा के शपथ पत्र पेश किये गये। जिनके बयान लेखबद्व किये गये तथा अभिभाषक प्रतिवादी द्वारा साक्ष्यवादीगण से जिरह की गई।

साक्ष्यप्रतिवादी के तहत Dw1 रामस्वरूप पुत्र मन्नालाल जाति मीणा निवासी हनुवतखेडा, Dw2 रामकरण पुत्र मांगीलाल जाति मीणा निवासी हनुवतखेडा, Dw3 रामरतन पुत्र प्यारेलाल जाति किराड निवासी हनुवतखेडा के शपथ पत्र पेश किये गये जिनके बयान लेखबद्व किये गये तथा अभिभाषक वादी द्वारा जिरह की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.05.22 13:37:37 IST
Reason: SelfAttested

वाद के निर्णयन से पहले राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं को समझना आवश्यक है।

<u>राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 कतिपय अतिचारियों की बेदखली:–</u>

i- इस अधिनियम में किसी उपबंध मे किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी अतिचारी, जो विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना किसी भूमि पर कब्जा कर लेता है या उसे बनाए रखता है तो

उपधारा (2) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अध्यधीन उसको बेदखल करने के लिए हकदार व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के द्वारा वाद करने पर बेदखली के लिए दायी होगा और प्रत्येक उस सम्पूर्ण कृषि वर्ष अथवा उसके किसी भाग के लिए जिसके दौरान उसे ऐसा कब्जा रखा, शास्ति के रूप में ऐसी राशि जो वार्षिक लगान के पन्द्रह गुना तक हो सकेगी, संदत्त करने का अतिरिक्त रूप से दायी होगा।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 दोषपूर्ण बेदखली के विरूद्व व्यादेश:– कोई अभिधारी जिसकी सम्पूर्ण जोत या उसके किसी भाग पर से अधिकार या उसके उपभोग पर उसके भू–धारक अथवा किसी अन्य द्वारा अतिचार किया गया हो या अतिचार किए जाने का भय हो, शाश्वत व्यादेश के लिए वाद ला सकेगा।

धारा 188 आर.टी.एक्ट के अधीन वाद में शाश्वत व्यादेश देने के पहले निम्न शर्तें साबित करनी आवश्यक है किः–

i- वादी विवादग्रस्त जोत का अभिधारी है।

ii- वाद फाइल करने की तारीख को वादी उस वाद भूमि पर काबिज है।

iii- वादी का उस जोत में से अधिकार या उपभोग कर प्रतिवादी द्वारा अतिक्रमण (अतिचार) किया गया है या आक्रमण करने का भय है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई और उपलब्ध दस्तावेज/पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में तनकीवार निर्णय निम्नानुसार है–

तनकी नं0 1– ग्राम हनुवतखेडा पटवार हल्का गोरधनपुरा की जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के अनुसार खाता संख्या 137 के ख0नं0 570 रकबा 0.18 है0 व ख0नं0 579 रकबा 0.03 है0 कुल किता 2 का कुल रकबा 0.21 है0 किस्म चाही–1 भूमि बाबूलाल पुत्र गोपीलाल जाति मीणा के नाम दर्ज रिकार्ड है। प्रतिवादी ने जवाब दावा में कथन किया है कि उक्त विवादित आराजी (ख0नं0 570 रकबा 0.18 है0 व ख0नं0 579 रकबा 0.03 है0 कुल किता 2 का कुल रकबा 0.21 है0) को वादी के पिताजी गोपीलाल ने आज से 18 वर्ष पूर्व बाबूलाल की उपस्थिति में प्रतिवादी रामस्वरूप को बेचान किया था लेकिन बेचान के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है तथा स्वयं बाबूलाल ने इस बात को नकारा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.05.22 13:37:37 IST
Reason: SelfAttested

अतः इस प्रकार साबित है कि वादी खाता संख्या 137 के ख0नं0 570 रकबा 0.18 है0 व ख0नं0 579 रकबा 0.03 है0 कुल किता 2 का कुल रकबा 0.21 है0 आराजी से प्रतिवादी क्रम 1

को बेदखल करवाकर कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः तनकी नं0 1 का निर्णय वादी के पक्ष में तथा विरूद्व प्रतिवादी किया जाता है।

तनकी नं0 2— वादी ने वाद पत्र में कथन किया है कि गत वर्ष प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा वादी के स्वामित्व की आराजी ख0नं0 570 रकबा 0.18 है0 व ख0नं0 579 रकबा 0.03 है0 कुल किता 2 का कुल रकबा 0.21 है0 पर जबरन कब्जा किया गया। प्रतिवादी क्रम 1 ने जवाब दावे में कथन किया है तथा स्वीकार किया है कि ख0नं0 570 रकबा 0.18 है0 व ख0नं0 579 रकबा 0.03 है0 कुल किता 2 का कुल रकबा 0.21 है0 पर प्रतिवादी रामस्वरूप शांतिपूर्वक काश्त करता चला आ रहा है। धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की उपधारा (2) के अनुसार शास्ति के रूप में ऐसी राशि जो वार्षिक लगान के पन्द्रह गुना तक लगाई जा सकती है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक 27.07.2018 से पन्द्रह गुना तक शास्ति लगाई जा सकती है।

इस प्रकार तनकी नं0 2 का निर्णय विरूद्व वादी व प्रतिवादी के पक्ष में किया जाता है।

तनकी नं0 3— राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 में दोष पूर्ण बेदखली के विरूद्व व्यादेश का प्रावधान किया गया है। विवादित आराजी ख0नं0 570 रकबा 0.18 है0 व ख0नं0 579 रकबा 0.03 है0 कुल किता 2 का कुल रकबा 0.21 है0 का वादी रिकार्डेड खातेदार है। कोई अभिधारी जिसकी सम्पूर्ण जोत या उसके किसी भाग पर से अधिकार या उसके उपभोग पर उसके भू—धारक अथवा किसी अन्य द्वारा अतिचार किया गया हो या अतिचार किए जाने का भय हो, शाश्वत व्यादेश के लिए वाद ला सकेगा।

अतः स्पष्ट है कि वादी प्रतिवादी क्रम 1 को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकारी है। अतः तनकी नं0 3 का निर्णय वादी के पक्ष में तथा विरूद्व प्रतिवादी किया जाता है।

तनकी नं0 4— जिरह अभिभाषक प्रतिवादी में वादी बाबूलाल पुत्र गोपीलाल जाति मीणा निवासी हनुवतखेडा तहसील अटरू (Pw-1) ने स्वीकार किया है मेरे पिता का नाम गोपीलाल है तथा रामस्वरूप (प्रतिवादी क्रम 1) के पिता गोपीलाल व मन्नालाल दोनो सगे भाई है। बाबूलाल ने रामस्वरूप के साथ जमीन की अदला—बदली करना स्वीकार किया है। रामरतन पुत्र धन्नालाल जाति मीणा निवासी हनुवतखेडा (Pw-2) ने जिरह अधिवक्ता प्रतिवादी में बताया कि बाबूलाल के पिताजी गोपीलाल ने रामस्वरूप से 30000/—रूपये लेकर रामस्वरूप को कब्जा

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.05.22 13:37:37 IST
Reason: SelfAttested

संभलवाया था तथा रामस्वरूप के खाते की 1.5 बीघा जमीन बाबूलाल को संभला दी थी, बाबूलाल ने यह केस किया उससे पहले से रामस्वरूप ने जमीन पर कब्जा कर लिया था तथा बताया कि रामस्वरूप के द्वारा बाबूलाल को दी गई भूमि पर रामस्वरूप ही कब्जा काश्त करता चला आ रहा है।

उपरोक्त विवरण व विश्लेषण से स्पष्ट है कि बाबूलाल व रामस्वरूप ने आपस में जमीन की अदला बदली की थी तथा जमीन को 30,000/– रूपये प्राप्त कर बेचान करने का कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नही है लेकिन साक्ष्यों से जमीन की अदला–बदली करना साबित है।

अतः तनकी नं0 4 का निर्णय आंशिक रूप से प्रतिवादी क्रम 1 के पक्ष में तथा आंशिक रूप से वादी के पक्ष में किया जाता है।

तनकी नं0 5– तनकी नं0 4 के विवरण व विश्लेषण से स्पष्ट है कि वादी व प्रतिवादी क्रम 1 ने आपस में जमीन की अदला–बदली अपनी सहुलियत को देखते हुए की थी तथा रामरतन पुत्र धन्नालाल जाति मीणा निवासी हनुवतखेडा के साथ जिरह अभिभाषक प्रतिवादी में रामरतन ने बताया है कि रामस्वरूप ने बाबूलाल को दी गई भूमि वापस अपने कब्जे में ले ली।

जिरह अभिभाषक वादी में रामस्वरूप पुत्र मन्नालाल जाति मीणा निवासी हनुवतखेडा (Dw-1) ने स्वीकार किया है कि जमीन को खाते बनाने को लेकर कहासुनी 4–5 वर्ष पहले हुई थी।

इस प्रकार तनकी नं0 4 के विवरण, विश्लेषण व तनकी नं0 5 के विवरण व विश्लेषण से स्पष्ट है कि वादी व प्रतिवादी क्रम 1 के बीच जब विनिमय की हुई भूमि को लेकर मतभेद हुए तब वाद कारण उत्पन्न हुआ। अतः वर्णित प्रकरण को मियाद बाहर नही माना जा सकता है।

उपरोक्त विवरण व विश्लेषण के आधार पर तनकी नं0 5 का निर्णय वादी के पक्ष में तथा विरूद्व प्रतिवादी क्रम 1 किया जाता है।

तनकी नं0 6– प्रतिवादी क्रम 1 ने प्रतिवाद पत्र में कथन किया है कि माल हनुवतखेडा तहसील अटरू की आराजी ख0नं0 570 रकबा 0.18 है0 तथा ख0नं0 579 रकबा 0.03 है0 का बेचान वादी के पिताजी गोपीलाल ने प्रतिवादी रामस्वरूप को किया था। प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा इस कथन को साबित करने हेतु कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है। साक्ष्यों के आधार पर वादी व प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा आपस में जमीन का विनिमय करना साबित है तथा तनकी नं0 4 व तनकी नं0 5 के विश्लेषण से यह भी साबित है कि रामस्वरूप ने बाबूलाल को दी हुई जमीन वापस अपने कब्जे में ले ली।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.05.22 13:37:37 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त विवरण व विश्लेषण के आधार पर स्पष्ट है कि प्रतिवादी क्रम 1 वर्णित आराजी को अपने खाते दर्ज करवाने हेतु आवश्यक तथ्यों को साबित करने में असफल रहा है। अतः तनकी नं0 6 का निर्णय विरूद्व प्रतिवादी क्रम 1 व वादी के पक्ष में किया जाता है।

तनकी नं0 7– तनकी नं0 6 के निर्णय से स्पष्ट है कि वर्णित आराजी प्रतिवादी क्रम 1 के खाते दर्ज नही की जा सकती है तथा जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 ग्राम हनुवतखेडा पटवार हल्का गोरधनपुरा तहसील अटरू (प्रदर्श–1) के अनुसार ख0नं0 570 व 579 बाबूलाल पुत्र गोपीलाल के नाम दर्ज रिकार्ड है। अतः प्रतिवादी क्रम 1 वादी को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकारी साबित नही होता है।

उपरोक्त विवरण व विश्लेषण के आधार पर तनकी नं0 7 का निर्णय विरूद्व प्रतिवादी क्रम 1 व वादी के पक्ष में किया जाता है।

उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण व तनकीवार निर्णय के आधार पर ग्राम हनुवतखेडा पटवार हल्का गोरधनपुरा की विवादित आराजी खाता संख्या 137 के ख0न0 570 का रकबा 0.18 है0 व ख0न0 579 का रकबा 0.03 है0 कुल 2 किता का रकबा 0.21 है0 पर प्रतिवादी क्रम 1 का अवैध कब्जा साबित होता है। अतः वादी का वाद अन्तर्गत धारा 183, 188 आर0टी0एक्ट0 न्यायहित में स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त वर्णन, विवेचन, विश्लेषण एवं तथ्यों के आधार पर वादी का वाद न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार अटरू को आदेशित किया जाता है कि पुनः मुस्तकिल बिन्दुओं के आधार पर निष्पक्ष टीम गठित कर भूमि की पैमाईस करवाकर अतिचारी को बेदखल करवाया जाना सुनिश्चित करें तथा प्रतिवादी क्रम 1 स्वयं के हक हिस्से से अधिक भूमि पर दखलंदाजी न करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 09.04.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.05.22 13:37:37 IST
Reason: SelfAttested

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)
बइजलास. श्री ओम प्रकाश चन्देलिया (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 146/2018 **दायर दिनांक :–27.07.2018**

उनवान

1. बाबूलाल आयु 58 वर्ष पुत्र गोपीलाल जाति मीणा निवासी हनुवतखेड़ा तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

वादी

बनाम

1. रामस्वरूप आयु 38 वर्ष पुत्र मन्नालाल जाति मीणा निवासी हनुवतखेड़ा पोस्ट मूसई गुजरान तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब अटरू तह0 अटरू जिला बारां राज0

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 183, 188 आर0टी0एक्ट0

उपस्थिति :–
वादी :– विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर
प्रतिवादी :– विद्वान अभिभाषक श्री मोहनलाल सुमन
मिनजानित मुदई रूबरू .....X.....

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। तहसीलदार अटरू को आदेशित किया जाता है कि पुनः मुस्तकिल बिन्दुओं के आधार पर निष्पक्ष टीम गठित कर भूमि की पैमाईस करवाकर अतिचारी को बेदखल करवाया जाना सुनिश्चित करें तथा प्रतिवादी क्रम 1 स्वयं के हक हिस्से से अधिक भूमि पर दखलंदाजी न करें।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज .....X..... मुबालिक .....X..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह .....X..... .....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....X..... अदा करूंगा।
मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 09.04.2025 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		**मुदालयह**	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प वकालत नाम	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	स्टाम्प वजह सबूत	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	महन्ताना वकील	
मिजान			मिजान

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.05.22 18:37:37 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)